कार्यालय– जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई.सी.डी.एस, बलिया।

पत्रांक सी–1942 /जि0का0अधि0/आ0बा0कार्य0/विज्ञप्ति/2025–26/ दिनांक– 06 फरवरी, 2026

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–1/1092245/2025/3313/58–1–2025(1917687) दिनांक 17.09.2025 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार जनपद बलिया के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना बैरिया, दुबहड़, मनियर, मुरलीछपरा, नगरा, पन्दह, सीयर एवं सोहांव में आंगनबाड़ी कार्यकत्री के रिक्त 13 पदो पर चयन हेतु विभागीय वेबसाइट https://upanganwadibharti.in पर पात्र महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री पदो का विकास खण्ड/बाल विकास परियोजनावार विवरण निम्नवत है:–

क्र0 सं0	बाल विकास परियोजना का नाम	रिक्त पदों की संख्या	ग्रामीण/शहरी	वार्ड/ग्राम पंचायत का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का कोर्ड	आरक्षण श्रेणी
1	BAIRIYA	01	URBAN	BIBITOLA TOLA WARD NO 14	BIBITOLA	09126010119	Scheduled Caste(SC)
2		01	URBAN	HARIJAN BASTI WARD NO 1	BRC BAIRIA	09126010107	General (UR)
3		01	RURAL	MANGAND	MANGAND	09126010709	Scheduled Caste(SC)
4	DUBHAD	01	RURAL	MANIYARI JASAV	MANIYARI	09126070423	Scheduled Caste(SC)
5		01	RURAL	PATKHAULI	SOHILPUR	09126070623	Scheduled Caste(SC)
6	MANIAR	01	RURAL	DIGERA	DIGERA 1	09126100320	General(UR)
7	MURLICHHAPRA	01	RURAL	KHAWASPUR	KRISHNANAGER	09126110415	Scheduled Caste(SC)
8		01	RURAL	RAMPUR	RAMPUR	09126110430	Scheduled Caste(SC)
9	NAGRA	01	RURAL	BARADIH LAWAIPATTI	BARADIH LAWAIPATTI	09126120205	Other Backward Caste(OBC)
10	PANDAH	01	RURAL	CHARWA BARWA	CHARWA BARWA	09126140205	General(UR)
11	SIAR	01	RURAL	CHANDADIH	CHANDADIH 1	09126170209	General(UR)
12		01	RURAL	KUSHAHA BARHAMAN	KUSHAHA BRAHAMAN 3	09126170318	Scheduled Tribes(ST)
13	SOHAV	01	RURAL	SUJAYAT	SUJAYAT	09126180612	Scheduled Caste(SC)

उपरोक्त पदों का ग्राम सभा/वार्डवार एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, संबधित तहसील एवं संबधित विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया है। साथ ही विभागीय वेबसाइट https://upanganwadibharti.in पर अपलोड है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:–

1. विज्ञापन में प्रकाशित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी।
2. आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी, मेरिट का निर्धारण इंटरमीडिएट, स्नातक तथा परास्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा।
3. विज्ञापित पदों हेतु केवल आनलाईन आवेदन ही मान्य होगें। ऑफलाइन आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नही होगें।
4. विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि 27.02.2026 के मध्य रात्रि 12.00 बजे तक होगी।
5. आंगनबाड़ी कार्यकत्री पद हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। दिनांक 01.01.2026 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। आयु के सम्बन्ध में हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी।
6. विज्ञापित रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री पद की ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी।
7. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध मे माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
8. गरीबी रेखा के नीचे की विधवा/विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाएं न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रो में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

Scanned with OKEN Scanner

9. उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रो में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला।
10. विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा के उपर जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
11. विज्ञापित रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री पद की ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी का पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबधित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जायेगा।
12. निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होगे जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
13. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग– 9 द्वारा निर्गत शासनदेश संख्या 3659/1–9–11–राज0–9 दिनांक 30.9.2011 (यथा संशोधित) के कम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण–पत्र ही मान्य होगें। जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभंव हो।
14. गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के संबंध में समाज कल्याण अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26–2–2015 दिनांक 14.09.2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
15. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट https://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाइन व सही–सही सावधानी पूर्वक भरे जायेगें। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा।
16. यदि आवेदन में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य आंकड़े/शौक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाये जायेगें, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन करने से पूर्व शासनादेश दिनांक 17.9.2025 का अध्ययन भली भॉति कर लें।
17. एक आगनवाडी केन्द्र पर एक परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति नही की जाएगी।
18. रिक्त पदो का विस्तृत विवरण जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/संबधित उप जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी/संबधित खण्ड विकास अधिकारी/संबधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एवं विभागीय वेवसाइट https://upanganwadibharti.in पर देखा जा सकता है।
19. चयन की प्रकिया शासनदेश दिनांक 17.9.2025 में वर्णित प्राविधान के अनुसार की जायेगी तथा किसी भी चयन को निरस्त किये जाने का अधिकारी चयन समिति/नियुक्ति प्राधिकारी में निहित है।
20. विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ सकती है।

(के.एम पाण्डेय)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
बलिया।

पृष्ठांकन पत्र सं0–सी–1942/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र०, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, बलिया।
3. मुख्य विकास अधिकारी, बलिया।
4. संबधित उप जिलाधिकारी जनपद– बलिया।।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन०आई०सी०), बलिया।
6. जिला सूचना अधिकारी, बलिया को इस अनुरोध के साथ कि अनिवार्यतः 02 मुख्य दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं अमर उजाला में निर्धारित शासकीय दरों कम से कम स्थान में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. संबधित खण्ड विकास अधिकारी, जनपद बलिया को इस अनुरोध के साथ कि नोटिस बोर्ड पर चरपा कराते हुये अपने स्तर से ग्राम पंचायतों में प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।
8. नाजिर कलेक्ट्रेट/विकास भवन बलिया को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संशोधित विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
9. संबधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, बलिया को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का विवरण उपरोक्त विज्ञप्ति में वर्णित सम्बन्धित कार्यालयों को उपलब्ध कराने के साथ ही समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुये प्राप्ति रसीद अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं सम्बन्धित समस्त ग्राम प्रधान/सभासद को विज्ञप्ति का विवरण प्रचार–प्रसार हेतु प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।
10. कार्यालय प्रति।

06/02/26

जिला कार्यक्रम अधिकारी
बलिया।

Scanned with OKEN Scanner